(2)

मैसर्स पटेल फॉस्केम लिमिटेड़, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 22.02.2024 प्रातः 11:00 AMबजे, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालाय, ग्राम–खेमली, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आमसूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 18. 01.2024 एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.01.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड़ के Expansion of Chemical Fertilizer Plant located at Khasra no. 4666/2184, 4684/2875, 4687/2875, 4693/2997, Village-Khemli, Tehsil-Mavli, District-Udaipurकी परियोजना को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने करने हेतुग्राम–खेमली, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 11,356/–लाख है।

अतः मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे। जिसकोMinstry of Enviroment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), New Delhiको प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 15.04.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित

अति.जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

समस्त शर्तों की मैसर्स पटेल फॉस्केम लिमिटेड द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

आप अपना नाम बताए गांव का नाम बताए जो भी कहना चाहे कह सके है । सीएसआर में काम करवाना हो । कोई प्रोब्लम हो जो भी हो।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अनिल अग्रवाल द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री देवीलाल डांगी ग्राम–जूनावासः–मैं यहां स्थानीय निवासी हूँ और सरपंच पति हूँ पहले भी साहब यह इकाई चलती थी जो हमारे यहां बहुत प्रदूषण होता था। इससे पहले जो दूसरे ग्रुप के पास कम्पनी थी उसके सम्बन्ध में हमारे ऐरिया में बहुत कुए खराब हुए, पानी खराब हुआ। लोगों में अभी जो बढावा दे रहे हो उससे सभी लोग आक्रोषित है क्योंकि पहले हम भुगत–भोगी है। पहले ऐसिड प्लान्ट था जिसमें कुछ बनाते थे ये लोग,तोहमारे आस–पास के सब कुए खराब हो गएथे। जिससे हमारी फसले भी नष्ट हो गई थी।तो यहां के लोग नहीं चाह रहे है कि यह कम्पनी आगे बढ़े। क्योंकि हमारे आस–पास के जूनावास की कृषि भूमि है। गांव भी नजदीक है। हमारे जूनावास के खेत है ओर भी खेत है। और आबादी बढ़ रही है।तो यह इकाई से हमारे यहां के लोग कुल मिलाकर संतुष्ट नहीं है जो कि आगे बढ़े। पहले बन्द रही, पहले दस साल यह फेक्ट्री बन्द रही तो उसके बाद ही हमारे कुए का पानी वगैरह सब सही हुआ वरना हमारे को खतरा ही है साहब। इसलिए हम यहां के आस पास के लोग सतुष्ट नहीं है।

श्री शंकरलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

साहब यहां पर हमारी यहां 8 बीघेजमीन है हम 5–15 साल से उसमें से एक दाना भी नहीं निकाला क्योंकिबेरोजगार हो जैसे कर दिया। यह फेक्ट्री बन्द हुई 5–10 साल में हम उसमें गेहूंबो रहे है। यह एसिड निकलता था जिससे बहुत परेशानी थी। हम कोर्ट में केस भी लड़े मावली से वहां से भी जिते। हमारे पास कागज–पानड़े है। उसके बाद में संतोष है। इस फेक्ट्री से बहुत परेशान थे। यह फेक्ट्री दस साल से बेरोजगार पड़ी है इससे आस–पास में सब जो है अपना–अपना काम कर रहे है

अति. जिला कलक्टर (नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

और आस–पास में गेहूँ पैदा हो रहे है। पानी भी खराब हो गया। केस भी लड़े उसकी भी फाईले पड़ी है हमारे पास में। यह तोबहुत परेशानी का काम है। हम सभी काश्तकार डूब जाते है इससे।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

एक मिनट ये जो रिकॉडिंग हो रही है इसमें एक–एक करके बोलिए। आगे की कार्यवाही चालू की जा रही है।

मैं किशनलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

अभी जल की हमारे को प्रोब्लम है। अभी पीने का पानी खेमली तालाब से आ रहा है। पानी कुओं में बिल्कुल बिगड़ा हुआ है आप फिर भी टेस्ट करवाना चाहते तो भी हो सकता है। और आने वालेमें अगर ऐसी पोजिशन में अगर फेक्ट्री आगे बढ़ेगी तो हमारे को बहुत नुक्सान देगा। पशु में, काश्तकार करने में सब तरह से। इसलिए हमारे गांव का सबसे यह विनती है कि इसे आगे नहीं बढ़ाई जाए।

श्री मोहनलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

मैं गांव जूनावास का रहने वाला हूँ । ओर यहां पर देखों पहले भी 12 साल फेक्ट्री बन्द रही और किसान सभी परेशान थे और आज भी अगर यह फेक्ट्री को अगर बढावा देते हो तो किसान परेशान हो जाएंगे। अभी भी पीने का पानी खेमली तालाब से पानी लाया जा रहा है। सभी की विनती यही है कि फोस्फेट को बढ़ावा नहीं दिया जाए। मवेशी वगैरह सब बीमार हो रहे है। जनता को भी नुकसान हुआ है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आगे कोई बोलना चाहे बोल सकते हैं। आपकी बात आगे रखी जाएगी।

श्री राम लाल डांगी ग्राम–जूनावास :–

केस लड़े है, फाईले अभी भी चल रही है उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद भी हमारा स्कूल एक मतलब आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। यह स्कूल भी है। एक स्कूल पास में जूनावास का है सर और पानी हम पीने के लिए खेमली के तालाब से आ रहा है, सर। अब यह सेम्पिलिंग करवा लीजिए कुओं का। आज भी मतलब पीने के लिए मवेशी के पीने के लिए पानी भी काबिल नहीं है। यह स्थिति है। ये लोग जो बैठे है सब बाहर वाले है। स्थानीय नहीं है।

अति. जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री हुक्मी चन्द डांगी, ग्राम–जूनावास :–

इस फेक्ट्री से पशु, मवेशी का पानी पीने का गाय–बैल खराब हो जाते थे, खोड़े हो जाते थे। अभी बहुत परेशानी है। इससे यही हमारे गांव वालो का सभी का कहना यही है कि इस फेक्ट्री को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाए।

श्री रामलाल, ग्राम–जूनावास :–

ये हमारे सरपंच साहब बोलियाजो बिल्कुल सही बोलिया है उनके साथ में हमारी 200 घरों की बस्ती है जूनावास। सब साथ में खेमली पूरी पंचायत साथ में और हम परेशानी से इतने बचे कि हमारी 80 साल की उम्र है लेकिन इतनी परेशानी इस फेक्ट्री से हुई है कि हम कुछ कह नहीं सकते।

श्री देवीलाल डांगी, ग्राम–जूनावाससरपंच पति :–

जो पहले पहले भुगत भोगी हो गये लोग बहुत परेशान हो गए। तो यह इकाई हमारे यहां बहुत नुकसान दायक है। यह कुल मिलाकर मैने जो पूरा सुना उसके बाद सर्वे किया। इन लोगों को पूछा। पूरी पंचायत में यह रिजल्ट मिला कि पहले भुगत भोगी लोग बहुत परेशान हुए तो यह इकाई हमारे यहां बहुत नुकसान दायक रहेगी साहब है।

श्री नारायणलाल मेघवाल, ग्राम–जूनावास :–

इस फेक्ट्री से हमारे कुओं का पानी जल स्तर बहुत खराब हो चुका है। पानी पीते है तो उल्टी–दस्त चालू हो जाती है। बहुत ही खराब है और जमीने हमारी जो पास में पड़ी हुई है फेक्ट्री के। चालीस साल से जमीन में खेती–बाड़ी नहीं की है बन्जर हो चुकी है।

कृपया करके इस फेक्ट्री को आगे बढ़ावा नही दिया जाए और यह बन्द किया जाए।

श्री तुलसी राम डांगी, ग्राम–जूनावास :–

साहब इस फेक्ट्री से हमको बहुत नुकसान हुआ। पहले भी हम भुगत भोग चुके है। इसलिए इस फेक्ट्री को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाए।

श्री मोहनलाल, ग्राम–जूनावास :–

पहले साहब यह फेक्ट्री से बाहर माल डालते थे। पेड़–पौधों की, पेड़–पौधे चांपे (मवेशी) नहीं खाते थे। पानी बेकार हो गया है, कुए बेकार हो गए है। रात को हमको सोते समय मतलब इतनी गैस निकलती थी कि रात को हमको भाग–भाग करके फेक्ट्री के पास कितनी बार हम यहां आए थे। नारामगरा से दौड़कर लोग यहां आते थे। यहां से आते थे। पानी नहीं है इस गांव में एक कुए का आप सेम्पल टेस्ट करवाइए ।एक कुए में पानी पीने लायक नहीं है। आज भी नहीं है। क्योंकि ये पानी जमीन

अति.जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

में उतार रहे है । पहले इनमें सब मशीने लगी हुई थी ये सब पानी को यूज करते थे। पानी साफ करके बाहर निकालते थे। अब ये पानी इतना अन्दर डाल रहे है जो जमीन में निवासी को हमारे कुए में पानी नहीं है। खेमली पंचायत एक ऐसी चीज है यहां एक तालाब में एक कुआ है उससे पूरी पंचायत जिन्दी रह रही है आज यह कुआ बन्द हो जाए तो हमारे पीने के लिए पानी नहीं है । हमे इस फेक्ट्री से क्याफायदा है। आप सोचिए सर यह फेक्ट्री हमारे पास में पड़ी हैकोई हमाराएक आदमी नौकरी नहीं है और सभी दुःखी–दुःखी है सर। किसी तरह की हमको कोई राहत नहीं है इसको आगे बढावा नहीं दिया जाए।

श्री शिवकुमार सिंह :–

मैं इस कम्पनी का प्रमुख हूँ। इंजिनियरिंग, टेक्नीकल और सब सुविधाओं के लिए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर कि जो भी इन किसानों को तकलीफ थी वो एक पुरानी टेक्नोलोजी का प्लान्ट लगा हुआ था और सन् 80 का लगा हुआ था बेसिकली तो उस वक्त टेक्नोलोजी इतनी डवलप नहीं थी। हो सकता है कुछ परेशानी हुई होगी और हमनें यह फेक्ट्री अभी दो साल पहले ही खरीदी है सर और अभी तो ठीक से चल भी नहीं रही है। बहुत ही मतलब 30 परसेन्ट पर चला रहे है इस प्लान्ट को हम तो । एक्सपान्शन करने के बाद में हम इसे नयी टेक्नोलोजी every thing suitable for environment and health and public every thing will be care off andजो भी परेशानी पूर्व में हुई होगी वह अबनहीं होगी इस फेक्ट्री के साथ में। मैं यही कहना चाहता हूँ सर क्योंकि अब नयी टेक्नोलॉजी जो आ गयी है । पानी उपचारित होगा पूरी तरह से। आप सब जानते है कि अभी भी जो हम लोग हवा में या जो भीहो रहा है वो पूरा कन्ट्रोल में है अभी भी और किसी भी तरह की कोई परेशानी या पॉल्युशन की किसी की शिकायत हमें किसी ने नहीं दी है, मतलब ना तो आपको दी है डिपार्टमेन्ट को है, न हमको आई है।

श्री मोहित पटेल, डायरेक्टर, कम्पनी :–

बेसिकली जो वाटर प्रोब्लम क्वयुश्चन उठाया जा रहा है यह कम्पनी की जीरो डिस्चार्ज है। जीरो डिस्चार्ज के केस में एक बून्द भी पानी फेक्ट्री के प्रीमीसेज जमीन के अन्दर भी नहीं जा सकता वो। सो कुआ खराब होनाeven फेक्ट्री के अन्दर कुआ है और उसी कुए के अन्दर से पानी निकाल कर ये लोग पीते है और सालो से काम कर रहे है सो यह कहना कि फेक्ट्री का कुआ खराब नहीं है तो फेक्ट्री प्रीमिसेज के बाहर का कुआ कैसे खराब हो सकते है, पानी खराब हो सकता है । सेकण्डरी जब सन् 2020 में यह प्लान्ट लिया गया था उसमें सबसे पहले यह सन् 1980 का यह प्लान्ट था जिसके अन्दर मेन्टीनेन्स का काम किया। जिसमें हमने पहला चीज यह किया कि एक साल प्लान्ट बन्द रखकर इसके अन्दर नयी टेक्नोलोजी,नयी चीजे लगायी गयी। अभी अपना जो पॉल्यूशन का कंट्रोल है। वो पूरा

अति. जिला कलक्टर (नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

जयपुर से सेन्ट्रल से किया जाता है उसमें भी अगर थोड़ा सा भी एक एमएम भी उपर जाता है। तो उसका रेड अलर्ट आ जाता है। रेड अल्र्ट आते ही गवरमेन्ट राजस्थान पॉल्यूशन कट्रोल बोर्ड हमारी फैक्ट्री बंद करने का नोटिस दे देती है। जो जितनी पूरी इण्डिया में फेक्ट्रीज है वो सारी एक ही पॉल्युशन मीटर पर चल रही है। चाहे यह फेक्ट्री हो, उमरड़ा फेक्ट्री हो या सेम फर्टिलाईजर की फेक्ट्री पूरे राजस्थान में 20 फेक्ट्रियां है। सारे के पेरामीटर सेम है। सबका डिस्चार्ज जीरो सेम है। कोई भी फेक्ट्री उपर–नीचे किसी भी प्राईमिसेज के हिसाब से चल नहीं सकती है। मेरी खुद की फेक्ट्री उमरड़ा में जीरो डिस्चार्ज पर है। ये जो जीरो डिस्चार्ज पर चल रही है। बाहर फैक्ट्री के जाना बिल्कुल सम्भव नही है। जहाँ तक बात आ रही है हमने लोकल आदमियों को जॉब नही दिया है। आज भी हमारे यहां खेमली गांव के 20 आदमी काम कर रहे है अगर यह परियोजना स्वीकृत हो जाती है तो 70 व्यक्तियों की क्षमता हो जाएगी। उसमें भी कम से कम 40 प्रतिशत आदमी लोकल है। उसके बाद जब ये क्षमता बढ़ जाएगी। तो लोकल की और क्षमता बढेगी। और 25–30 लोग से 100 तक जाएगें। सारे आदमी लोकल नहीं रखने का कारण यह होता है कि है कि मैनेजर व टेक्नोलोजी के जानकार लोकल उपलब्ध नहीं होने पर बाहर से नौकरी देनी पड़ती है। क्यूंकि प्लांट टेक्नोलॉजी का है तो क्वालिफाईड होना जरूरी है जिएम होना जरूरी है जिससे पूरी जीप चलती है। उस हिसाब से पॉल्यूशन के अपने पेरामीटर है। उनको मॉनीटर करना बहुत इनपोटेंट होता है और एक्सपाशन नही करना बड़ा आसान है। अगर हम करते है इन्ही लोगों का भला होगा। पुराने ऑनर्स ने क्या किया वो बहुत एक्सपटेट है। हम अन्य विजन से नई चीजों के आगे बढ रहे है। हमारे पास और भी ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ पर करने का रिजन यही है। क्यूंकि आज नही तो कल इसको कराना ही पड़ेगा। उसको डवलमेंट आएगा। दूसरी जगह जाके भी कर सकते है। यहाँ के लोगों को लास्ट में जाकर जॉब नही मिलेगी। तो मेरी ये सिचवेशन दोनों तरफ है और जीरो डिस्चार्ज की गांरटी आप देख ही रहे है। एक और साल गया। ऐसा नही होना चाहिए। अभी पाटीकुलेट भी हो सकता। बुरा मत मानना आप सरपंच साहब अभी आप लोगों ने बाहर मिटिंग करी हो। जूनावास का एक गैंग बना रखा है। यह सारी चीजे है जो आब्जेक्शन क्लरीफाई है। कोई पानी का इश्यू नही है। भैसों का नही है गाय का भी नही गाय नही मरी है। ठीक है सर थैक्यू सर।

श्री राम लाल डांगी ग्राम–जूनावास :–

सर आप सेम्पलिंग करवा लो। हमारे गांव के कुए का भी सेम्पिलिंग करवा लो, पानी पीने का है केनहीं है ।

क्षेत्रीय अधिकारी राप्रनिम, उदयपुर :–

एक एक करके बोलिए और कोई बोलना चाहे बोल सकता है।

अति. जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री नारायणलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

सुबह मैं 5.00 बजे उठता हूँ तब बाथरूम से फ्रेश होकर नीचे आता हूँ तो नाक जलता है पूरा । मैं उपर जाता हूँ छत पे सुबह 5.00 बजे नहीं तो आप जाकर ट्राई करना हमारे गांव के अन्दर सुबह 5.00 बजे नाक जलता है। गैस निकलता है इसलिए नाक जलता है। हर तरह की समस्या है । रात को भाड़–भीड़ भाड़–भीड की आवाज आती है, कोई चोर आता है तो पता नहीं चलता है। ताले टूटते है तो पता नहीं चलता है। सबसे ज्यादा तो नाक जलता है जिससे बीमारिया सारी अन्दर ही जा रही है।

श्री मोहनलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

साहब मैं साढ़े चार बजे भैसों का दूध निकालने के लिए उठता हूँ। उस समय ये रात को गैस छोड़ते है। मैंने सरपंच साहब को भी बोला था। सरपंच साहब ने बोला कि भाई यह सुनवाई मेरे पहले से है। दूसरों ने भी बोला उनको कि रात को गैस आती है आगे नहीं बढ़ावा दिया जाए । हमारी यही विनती है आपसे ।

श्री देवीलाल डांगी, ग्राम–जूनावास सरपंच पति :–

कुल मिलाके बात यही है कि साहब हमारी पंचायत में मैंने सब जगह पूछा और अभी यही आवाज है कि फेक्ट्री को नहीं बढ़ाया जावे। यह साल अभी भी यहां कुछ आस पास में फसलों का नुकसान हुआ उसकी मेरे पास में शिकायत आई तो भी इन्होंने कहा क्या करें । यह बात करते–करते हमारे पहले क्या कुछ शमशान का लफड़ा चल रहा था। शमशान खाली है। हमारे शमशान की भूमि थी इस फेक्ट्री के खाते जोमैंने अभी कलक्टर साहब को कह करवाकर उसे केन्सल करवायी, 5 बीघा जमीन छुड़वाई इस खाते से। मैंने देखा कुल मिलाकर यहां कि जनता नहीं चाह रही है। यह भी बात स्पष्ट है सामने साहब।

श्री शंकरलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

15–20 साल से एक भी दाने का काम नही पडा अभी भी जमीन बंजर पडी हुई है। फेक्ट्री पास में ही है हमने भी केश लडा है इसके लिये । केस मेंमतलब गांव वाला सब मतलब सक्सेज हुए। कम्पनी को खारिज कर दी । ओर उसके बाद नारामगरा वाले एक बार गैस छोड़ी तो नारामगरा से 5–4 बस भरके आई और इनको भगाया । और उमरड़ा में कई है,उमरड़ा में तो जंगल पडा हुआ है।यहा से उठते ही गेस के पास हि मेरा मकान है। रात में सो नही सकते हम । केस लड़ा मावली में। एसडीएम में केस चला हमारे गॉव के फेवर में निकला केस, वटा केडे यह फेक्ट्री बन्द हुई । यह तो मोनोपोली है। पहला एक इंच पर दूध नही हो। पहले कोई मेहमान आता तो बोलते कई है तुम्हारे गॉव में। हमारा इधर सम्बन्ध नही करते थे कि तुम्हारे गॉव में कई है।

अति.जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

9.

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ओर कोई बोलना चाहे तो आ सकते है। हमारा कोई काम डिसिजन लेना नहीं है आपकी बात कन्वे करना है जो हम कर देंगे अच्छी तरह से।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर :–

पॉल्युशन विभाग से सक्सेना साहब। ग्राम पंचायत खेमली के, गांव जूनावास के ज्यादातरनागरिक जूनावास के लग रहे है यहां पर। जूनावास के सभी कृषक बन्धु । कम्पनी के लोग। हमारे कार्मिक। इस जन सुनवाई का जो उद्देश्य है वह यही होता है कि आप लोगों के अनुभव एवं विचार जाने जाए और जो आपकी बात है उसको यहां के हमारे जो विभाग के अधिकारी है उनके द्वारा यथास्थिति रिकॉर्ड करके और विभाग को प्रेषित किया जाए तो आपकी सारी बातों को विभाग के द्वारा भी सुना गया और हमारे द्वारा भी सुना गया और रिकॉर्ड कर लिया गया। कम्पनी का पक्ष उसको भी सुन लिया गया उसको भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। यह यथास्थिति विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। और इस विषय में जोभी निर्णय होगा वो विभाग के स्तर पर लिया जाएगा और इसमें यदि फरदर ओर कोई मीटिंग वगैरह होनी है, बात होनी है तोउससेभी आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ किआप निश्चिन्त रहे कि इसमें । आज की जो जनसुनवाई इसलिए रखी गयी कि आप लोगों के विचार जाने जाए और आपके अनुभव को जाना जाए जो रिकॉर्ड पर लिया जाए। थेन्क्यू वेरी मच।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ओर कुछ कहना चाहे तो आ सकते है नहीं तो हम जनसुनवाई समाप्त करेंगे। कुछ कहना चाहे तो अभी भी आ सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

जो आपने बोला है वही लिखा जाएगा। हमारा काम डिसिजन करना नहीं, आगे कन्वे करना है। हम कन्वे कर देंगे। इस आधार पर ही निर्णय होगा । आप अलग से कागज पर हस्ताक्षर कर दे देंगे। अगर आप कोई कागज हस्ताक्षर कर देते है तो इसको हेड ऑफिस आगे जाएगा।

जो कम्पलेन्ट देना चाहे दे सकते है आप लिख कर देना चाहते है देवे वे इसको एज इट इज फोरवर्ड कर देंगे। सात दिनों में पहुंचा देवे, सात दिन में आ जावें।

श्री नारायणलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

जो हमारे गांव के है जूनावास के टोटल उपस्थिति पत्रक की ओर इशारा करते हुए बताया कि उपस्थिति पत्रक में अंकित व्यक्ति टोटल बाहर के है।

अति.जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इस पर "उपस्थिति पत्रक पर" ग्रामीणों द्वारा साईन करने से मना करने पर यह बताया कि यह जनसुनवाई में आपकी उपस्थिति है।

श्री नारायणलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

हमारी उपस्थिति अलग से देते है। इस पर श्री सक्सेना ने कहा कि वो कर दो।

ग्रामीण :–

ने बताया कि सर, इस जनसुनवाई की गांव में किसी को मालूम नहीं।

श्री मोहन लाल डांगी ग्राम–जूनावास :–

पूरी पंचायत को नहीं पता। अलग से लिखित में देते है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

अलग से लिख कर दे दो। सात दिन के अन्दर–अन्दर दे दो।

श्री मोहन लाल डांगी ग्राम–जूनावास :–

देखों इंगलिशपेपर में नोटिस निकाला। देखों जैसे आप बोल रहे है कि पेपर में दिया हमने। पेपर में इंगलिश पेपर में देखों कहा गांव का पढ़ा हुआ इंगलिश, वो कहा नोटिस देखे।

ग्रामीण :–

कि यह सब एक तरफा है।

श्री मोहन लाल डांगी ग्राम–जूनावास :–

ये साईन किए सब बाहर के है । यहां का स्थानीय एक भी नहीं है। देख लो साहब एक भी स्थानीय हो तो बताओ। ये सभी बाहर के है। किसी को सूचना नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप को जो भी कहना है लिखित में दे दो।

तहसीलदार जी मावली :–

सर ऐसा है हमारी बात सुन ले ये जो साईन करने के लिए आपको बोला है इसका मतलब यही है कि इस पाण्डाल में हम उपस्थित हुए है जैसे कि साहब ने भी किए, एडीएम साहब ने भी किए, मैने भी साईन किए, ये भी करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी उस्थिति आप अगर उपस्थित है तो साईन कर सकते है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साईन करने का मतलब यह थोड़े ही है कि आपने

अति. जिला कलक्टर (नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अनुमति दे दी। श्री मोहनलाल डांगी जूनावास ने कहा कि ये साईन किए वो कहा के है स्थानीय कोई है क्या। इसमें देखो स्थानीय कोई है। नारामगरा के है और दूसरी जगह के है। जनसुनवाई में तो स्थानीय आएंगे न सर।

इस पर तहसीलदार मावली एवं श्री सक्सेना ने कहा कि आप अलग से लिख कर दे दो।

ग्रामीण :–

इस पर सभी उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि एक अलग कागज पर हस्ताक्षर करा कर देते है।

ग्रामीण :–

इस उपस्थिति पत्रक में श्री गजेन्द्रसिंह खेमली लिखा हुआ है। जो कि गजेन्द्रसिंह खेमली में कोई है ही नहीं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर :–

ये डिपार्टमेंट की तरफ से है न तो ये फेक्ट्री लगवाने वाले विभाग के कोई अधिकारी है न मे जो इनकी फेक्ट्री लगवाने वाला कोई विभाग का अधिकारी हूँ। आप एक पार्टी है ये एक पार्टी है और पॉल्युशन डिपोर्टमेंट जो है वो आप लोगों को इनवायरमेंट क्लीयरेंस के लिए यह जन सुनवाई हो रही है फेक्ट्रीलगवाने के लिए नहीं हो रही है। क्या एनवायरमेंट क्लीयरेंस है या नहीं है लोगों के कोई ऐसे बेड पहले के कोई पुराने अनुभव तो नहीं है । इस वजह से है जो एनवायरमेंट क्लीयरेंस हो सकती है – लोगों की क्या इस बारे में जानकारी है। तो सबसे इम्पोर्टटेन्ट चीज यह है कि इनके विभाग के लिए कि आप लोग इस बारे में क्या विचार रखते हो वो जो बनकर जाएगा वह इम्पोर्टटेन्ट है। आपका जो रिकॉर्ड किया है वो और उस आधार पर ही निर्णय होगा। समझ में आ गयी बात। यहां लिख दिया, यहां साईन कर दिये इसका मतलब यह नहीं है कि सहमति हो गयी । इसका कोई मीनिंग नहीं है इसका मतलब केवल उपस्थिति पत्रक है। आपको लग रहा है कि इस पर कागज पर आपको गलत फहमी है । आपको इस पर साईन नहीं करने है तो आप अपना अलग उपस्थिति पत्र दे सकते है। पॉल्युशन विभाग के लिए ग्रामीण जन एक पक्षकार है एवं इकाई वाले एक पक्षकार है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप जो भी देना चाहे दे सकते हो । जो उपस्थित थे वो यहां के नहीं थे वो भी हम मान लेंगे। हम कहा मना कर रहे है। आप यह देना चाहते हो कि आप जो भी जो देना चाहो दे सकते हो। जो आप लिख कर देना चाहे वो एस इट इज फोरवर्ड करेंगे । और कुछ कहना चाहे तो आ जाए।

अति. जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री नारायणलाल डांगी, ग्राम–जूनावास :–

बाकी जो हमारा इतना विरोध हुआ है आगे कोई भी परमिशन दी है तो पशु में जानवर में अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। इतना विरोध किया इसके बाद भी आप परमिशन दोगे तो आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि पशु हैहुआ जानवर हुआ। कुछ भी हुआ तो अधिकारियो जिम्मेदार है ।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

हम इसमें कोई डिसिजन नहीं ले रहे है। एक बात समझो हम डिसिजन ले ही नहीं रहे है। हमको मतलब भी नहीं है कि फेक्ट्री आए या नहीं एक बात समझो इसपर हम कोई डिसिजन ले ही नहीं रहे है । हमको मतलब भी नहीं कि फेक्टी आए या नहीं आए। आप जो बोल रहे है उसको कमेटी नोट कररही है। हम डिसिजन नहीं ले रहे है। जन सुनवाई में आप जो बोल रहे है उसमें कोई चेन्ज नहीं होगा। और भी कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो।

श्री देवीसिंह राणावत ग्राम–जूनावास :–

एसिड प्लान्ट पहले था। बन्द करवाया। किस वजह से बन्द कराया, प्रदूषण की वजह से, पानी की वजह से, इसलिए बन्द कराया । पानी की यह स्थिति हुई कि मवेशी बाहर पानी नहीं पी सकती थी। पतजड़ होने लग गए थे पेड़ो पर । पहले भी हुआ न साब। रिकॉर्ड उठाकर देखलो आप। सरपंच साहब आपके सामने हुआ क नहीं हुआ। सभी ने बन्द करवाया साहब। हमने अकेले ने नहीं करवाया। पूरे ग्रामणो को। इसको पहले भी जब ऐसिड प्लान्ट की एनओसी दी तब सामने आया कि यहां आबादी है ही नहीं, आबादी दो किलोमीटर दूर है। चार किलो मीटर दूर है। लास्ट में कोर्ट में गए पेपर सामने आए क नहीं आए।

श्री खेमराज, जुनावास ग्राम–जूनावास :–

इससे पहले भी नुक्सान हुआ था । कुए का पानी अभी तक पीने लायक नहीं है उसका असर आज दिन तक है और रही बात जब सुबह यह प्लान्ट था उठते थे लोग को खांसी आती थी जो अन्दर धुआ घुसता था काफ परेशान होते थे तो सर बहुत तकलीफ में आ जाएंगे ास पास के गांवों के लोग।

श्री देवीलाल डांगी, ग्राम–जूनावास सरपंच पति :–

मैं तो साहब भुगत भोगी है, वर्तमान में भी नुकसान हो रहा है । अभी भी लोग शिकायत कर रहे है। हमारी पूरी पंचायत के लोग इस फेक्ट्री को नहीं चाह रहे है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और भी कुछ कहना चाहेगे। आप सभी का धन्यवाद यहाँ पधारे। जनसुनवाई यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद। जय हिन्द।

अति. जिला कलक्टर
(नगर), उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

कुछ ग्रामवासियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया प्रति संलग्न है। (**परिशिष्ठ "स"**)

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "य"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(राजीव द्विवेदी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (शहर)
जिला–उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

मैसर्स पटेल फॉस्केम लिमिटेड के विस्तार की परियोजना को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने हेतु ग्राम–खेमली, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 22.02.2024 को प्रातः 11:00 AM बजे, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम–खेमली, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	राजीव द्विवेदी	ADM City	[signature]
2	शरद सक्सेना	RO RSPCB Udaipur	[signature]
3	डॉ. रमेशचन्द्र पंड्या	तहसीलदार मावली	[signature]
4	Mohit Patel	Patel Phoschem Ltd	[signature]
5	Rup lal Patel	—"—	[signature]
6	Shiv Kumar Singh	Patel Phoschem Ltd	[signature]
7	पुष्कर जोशी	गाँव आसना	पुष्कर जोशी
8	उदयलाल	गाँव गुडली	उदयलाल
9	विजय कुमार भील	गाँव खेमली	Vijay
10	भैरी लाल डांगी	गाँव कुन्डोली	भैरूलाल
11	सुरेश भील	गाँव नाहरमगरा	सुरेश
12	कमलेश भील	गाँव नाहरमगरा	कमलेश
13	पन्नालाल	गाँव नाहरमगरा	पन्नालाल
14	डालू भील	गाँव नाहरमगरा	[thumb impression]
15	दिनेश भील	गाँव खेमली	दिनेश
16	प्रेमलाल भील	गाँव खेमली	प्रेम [illegible]
17	तेजराम डांगी	गाँव खरखाबाला	तेजराम
18	गजेन्द्र भील	गाँव नान्दोली	[signature]
19	चतुर्भुज कुम्हार	गाँव सालेराकला	चतुर्भुज
20	भैरुलाल	गाँव बोरियों [illegible]	भैरुलाल
21	प्यारेलाल	गाँव [illegible]	प्यारेलाल

क्र.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम (15)	हस्ताक्षर
22	खरतोराम	गाव खासा	खरतोराम
23	कैलाश मेघवाल	खेमली	कैलाश
24	भवरलाल	खेमली	भवर
25	जगदीश पटेल	ओडवाडिया	जगदीश
26	कैलाश पटेल	गुडली	कैलाश
27	गणपत पटेल	आसना	गणपत
28	भेरूलाल डांगी	ओडवाडिया	भेरूलाल
29	गजेन्द्र सिंह	खेमली	गजेन्द्र
30	नटेशराम	हिन्दू	नटेशर
	निशान्त नागदा	चन्देसरा	निशान्त
31	कुंजबिहारी मालवी	आसना	कुंजबिहारी
32	दुर्गालाल मालवी	भूरडा	दुर्गालाल
33	चुन्नीलाल डांगी	आसना	
34	महेश भील	खेमली	महेश
35	युगल सिंह	खेमली	[signature]
36	सुनील वैष्णव	नाहर मगरा	[signature]
37	नरेन्द्र सिंह	खेमली	[signature]
38	हेमराज डांगी	आसना	हेमराज
39	युगल डांगी	आसना	Yugal
40	हेमेन्द्र सेन	गुडली	हेमेन्द्र
41	अंकित	खेमली	[signature]
42	नरेश जोशी	गुडली	नरेशजोशी
43	योगेश डांगी	नान्देवल	योगेश
44	डी. एन. श्रीवास्तव	D.F.O.	[signature]
45			
46	अनिल अग्रवाल	गौरांग पर्या० सलाहकार जयपुर	An[signature]
47	विमल	गौरांग पर्यावरण सलाहकार जयपुर	[signature]

(16)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, खेमली

पंचायत समिति, मावली जिला–उदयपुर (राज.) 313201

क्रमांक : सेवा में   दिनांक : 27-02-2024

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

OS
8.3.24

महोदय जी,

सविनय निवेदन है की खेमली गाँव में स्थापित फ़र्टिलाइज़र संयंत्र, जो की वर्तमान में मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड द्वारा संचालित है, से कई ग्रामवासियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है एवं प्रस्तावित विस्तार परियोजना से भविष्य में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे साथ ही गाँव में ही संयंत्र के संचालित होने से किसान भाईयो को भी समय पर उचित दाम में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी | कंपनी द्वारा विभिन्न सामजिक उत्तरदायित्वो का निर्वाह भी समय समय पर किया जाता रहा है व भविष्य में भी विभिन्न कल्याणकारी कार्यो द्वारा गाँव की उन्नति हेतु सभी आशान्वित है |

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड खेमली की प्रस्तावित विस्तार परियोजना को मंजूरी दिये जाने से ग्राम पंचायत खेमली को कोई आपत्ति नहीं है |

धन्यवाद |

तुलसी डांगी
सरपंच
ग्राम पंचायत खेमली
पं.स. मावली जिला उदयपुर (राज

सरपंच
ग्राम पंचायत- खेमली
तहसील- मावली, जिला- उदयपुर (राज.)

अनिल
लक्ष्मण   पुष्कर
गोपल   नारायण

एकाद्री

दिनांक: 26-02-2024

सेवा में

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

महोदय जी,

हम खेमली ग्राम निवासियों द्वारा सविनय निवेदन है की खेमली गाँव में स्थापित फ़र्टिलाइज़र संयंत्र, जो की वर्तमान में मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड द्वारा संचालित है, के विस्तार परियोजना को बाहरी निवासियों एवं राजनीती से प्रेरित तत्वों द्वारा उत्पन्न गतिरोधो को दरकिनार करते हुए पूर्ण स्वीकृति प्रदान की जावे | इस संयंत्र के गाँव में संचालित होने के फलस्वरूप कई ग्रामवासियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है एवं प्रतावित विस्तार परियोजना की विकसित तकनीक से भविष्य में हमारे शिक्षित बच्चो को भी अपने क्षेत्र में ही रहते हुए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे | कंपनी द्वारा विभिन्न सामजिक उत्तरदायित्वो का निर्वाह भी समय समय पर किया जाता रहा है जिनमे गाव के मंदिर में समय समय पर दान करना, पीने के पानी हेतु टंकी बनवाना, शमशान भूमि पर मरम्मत कार्य करवाना इत्यादी सम्मिलित है | कंपनी के जारी रहने व् विस्तार होने पर भविष्य में भी विभिन्न कल्याणकारी कार्यो द्वारा गाँव की उन्नति हेतु हम सभी आशान्वित है |

अतः श्रीमान से निवेदन है की मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड खेमली की प्रस्तावित विस्तार परियोजना को मंज़ूरी दीये जाने से हम खेमली ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है |

धन्यवाद

चुन्नीलाल
जोध सिंह
नरेन्द्र
महेश
गोविन्द
दिनेश
Chandan
गंगालाल
नरेश डांगी
Kailash
रामलाल
कृष्णा मोहन

सेवा में
श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

महोदयजी,

मैं भगवत सिंह S/o अभय सिंह निवासी भागरोता का गुडा ग्राम पंचायत खेमली में दिनांक 22/02/2024 को कंपनी की जनसुनवाई कार्यक्रम मे किन्ही कारणो से सम्मिलित नही हो पाया जिसका मुझे खेद है मै यह स्वीकार करता हुँ की मुझे गाँव मे सन्चालित फर्टिलाइजर संयत्र के विस्तार होने से कोई आपत्ति नही है अपितु इसके कारण गाँव मे नये रोजगार के अवसर ग्रामवासियो को उपलब्ध होंगे

धन्यवाद

भगवत सिंह भागरोत

O S
5.3.24

34

DAILY FROM: AHMEDABAD, CHANDIGARH, DELHI, JAIPUR, KOLKATA, LUCKNOW, MUMBAI, NAGPUR, PUNE, VADODARA • POSTAL REGN. NO. JAIPUR CITY/001/2024-26

The Indian EXPRESS

JOURNALISM OF COURAGE

2024, JAIPUR LATE CITY, 14 PAGES

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com, फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड, ग्राम-खेमली, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर expansion of Chemical Fertilizer Plant located at Khasra no. 4666/2184, 4684/2875, 4687/2875, 4693/2997, Village-Khemli, Tehsil-Mavli, District-Udaipur हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड, ग्राम खेमली, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना Expansion of Chemical Fertilizer Plant located at Khasra no. 4666/2184, 4684/2875, 4687/2875, 4693/2997, Village- Khemli, Tehsil-Mavli, District-Udaipur का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय -4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरण्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ. प्र.)।
   5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
   6) उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उत्तर (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 22.02.2024 (गुरुवार) को प्रातः 11.00 बजे, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम खेमली, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

Finova Capital Pvt Ltd

702, Seventh Floor, Unique Aspire, Plot No 13-14 Cosmo Colony, Amrapali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur – 302021, Rajasthan.

APPENDIX-IV-A
[See proviso to rule 8(6)]
Sale notice for sale of immovable properties

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Finova Capital Private Limited Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower/ Co-Borrowers/Mortgagor/Guarantors/Secured Assets/Dues/Reserve Price/Auction Date & Time, EMD and Bid increase amount are mentioned below.

Name of Borrowers/ Guarantors/Mortgagors Loan A/c No.	Amount Dues	Description of Property	Reserve Price	Earnest Money 10%	Date, Place & Time of Auction
Loan A/c No. FISKLALO[illegible], Ali Sher S/O Yasin Khan (Borrower) R/O Miyan ki dhani, Roru Badi Tehsil Laxmangarh District Sikar - 332317 Rubina Bano W/O Ali Sher (Co-Borrower) R/O Miyan ki dhani, Roru Badi Tehsil Laxmangarh District Sikar - 332317 Harish Kumar Jangir S/O Bhagirath Mal Jangir (Guarantor) R/O Station Road Panchayat Samiti ke pass ward No 28 Laxmangarh District Sikar - 332311	Rs. 32,77,584/- upto 12-01-24 plus interest and expenses thereon until the payment in full.	All that piece and parcel of the Immovable Property situated at Khasra No 1012/1 Laxmangarh District Sikar. A Residential Plot, Total admeasuring Area is 605.31 Sq Yards. And Owned by Alisher which is having four boundaries East By : Road 20 Feet Wide West By : Other Plot North By : Road 20 Feet Wide South By : Hamirpura Road	Rs. 26,13,641/-	Rs. 2,61,364/- upto 30/01/2024 Bid Increase Amount 25,000/-	Auction Date: 31/01/2024 11.00 AM Auction Place: 1st Floor, Aravali Complex, Ward No 40, Piprali Road Near Railway Pulia Sikar - 332001 Rajasthan Inspection Date: 29/01/2024

Terms & Conditions of tender

1. The person, taking part in the tender, will have to deposit his offer in the tender form provided by the Company, which is to be collected from the Finova Capital Pvt. Ltd. during working hours of any working day, super scribing "Tender Offer for Above Mentioned Property" on the sealed envelope along with the DD/pay order of 10% of the reserve price as Earnest Money Deposit (EMD) in favor of Finova Capital Pvt. Ltd. payable at Sikar at the above mentioned office. The sealed envelopes will be opened in the presence of the available interested parties at above mentioned office of Finova Capital Pvt. Ltd. The inter se bidding, if necessary will also take place among the available bidders. The EMD is refundable if the bid is not successful.
2. The successful bidder will deposit 10% of the bidding amount adjusting the EMD amount as initial deposit immediately after the fall of the hammer towards the purchase of the asset. The successful bidder failing to deposit the said 10% towards initial payment the entire EMD deposited will be forfeited.
3. Balance amount of the sale price will have to be deposited within 15 days after the confirmation of the sale by the secured creditor, otherwise his initial payment deposited amount will be forfeited.
4. Interested parties who want to know about the procedure and terms & conditions of tender may contact 7014042735 or visit above mentioned branch office during office hours.

Note: - This is also a 15 days notice [illegible] to the Borrower/Guarantors/Mortgagors of the above said loan accounts about tender-cum-auction sale on the above mentioned date.

Place: Sikar
Date: 17-01-2024

Authorised Officer
Finova Capital Private Limited

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF
Metro Jet Airways Training Private Limited

S. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	Metro Jet Airways Training Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	[illegible]
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated/ Registered	Registrar of Companies (ROC), Jaipur
4.	Corporate Identity No. /Limited Liability Identification No. of corporate debtor	[illegible]
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	100-101, Gopalpura Bypass, Near Triveni Nagar Chouraha, Jaipur, Rajasthan- [illegible]
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	[illegible]
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	15.01.2024
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Bhim Sain Goyal, [illegible]
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	[illegible], Mayur Vihar II, Delhi 110091 [illegible]
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	[illegible], Rear Ground Floor, Greater Kailash II, New Delhi-110048 [illegible]@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	11.02.2024

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench has ordered the commencement of liquidation of the Metro Jet Airways Training Private Limited on 15.01.2024.

The stakeholders of Metro Jet Airways Training Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 14.02.2024, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. The proof of claims is to be submitted by way of the following specified forms along with documentary proof in support of their claims.

Form C- for Proof of claim by Operational Creditors (except Workmen and employees)
Form D- for Proof of Claim by Financial Creditors
Form E- for Proof of Claim by a Workman and Employees.
Form F- for Proof of Claim by Authorised Representative of workman or employees.
Form G- for Proof of Claim by any other Stakeholder.

In order to get the copy of form, you may download the abovementioned forms from the website www.ibbi.gov.in as prescribed under Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulation, 2016.

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties. All claimants are advised to compulsorily mention their PAN, email id and phone number in the claim forms.

Sd/-
(Bhim Sain Goyal)
Liquidator
Date: 17.01.2024
Place: New Delhi
Regn. No. [illegible]

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

ICICI Bank — Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No 23, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

Whereas

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	Neel Kamal Maharshi/ Yashoda- LBZ[illegible]	Property at Patta No. 172, Ward No. 24, Near Murti Press Front Street of Surya Cinema, Tehsil Ratangarh, Churu, Rajasthan, Ratangarh- 331022/ January 12, 2024	September 16, 2023 Rs. 13,43,730.00/-	Ratangarh (Churu)

The above-mentioned borrower(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: January 18, 2024
Place: Ratangarh (Churu)

Authorized Officer
ICICI Bank Limited

Motilal Oswal Home Finance Limited

Regd. Office: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opp. Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Tel: (022) 47189999
Website: www.motilaloswalhf.com, Email: hfquery@motilaloswal.com

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

(UNDER RULE 8 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of Motilal Oswal Home Finance Limited, (Formally known as Aspire Home Finance Corporation Ltd), under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned hereunder calling upon the following borrowers to repay the amount mentioned in the notice being also mentioned hereunder within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The following borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the following borrowers and the public in general that undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date mentioned hereunder.

Sr No.	Loan Agreement No. / Name of the Borrower/ Co Borrower/Guarantor	Date of Demand Notice and Outstanding	Date of possession Taken	Description of the Immovable Property
1	LXJAI00317-180005424 Rajni Ajay Kumar Sharma & Ajay Kumar Amar Chand Sharma	26-10-2023 For Rs 2362636	12-Jan-24	Plot No - 107, Situated At Man Vihar Beelwa, Near Chatta Dhani Puliya, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan - 302022

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of Motilal Oswal Home Finance Limited for an amount mentioned herein above and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place : Rajasthan
Date : 18-01-2024

Sd/-
Authorised Officer
(Motilal Oswal Home Finance Limited)

AAVAS FINANCIERS LIMITED

(Formerly known as AU HOUSING FINANCE LIMITED) (CIN:L65922RJ2011PLC034297)
Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur, 302020

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

As the loan account became NPA therefore the Authorised Officer under section 13(2) of Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act 2002 had issued 60 day demand notice to the borrower as given in the table. [illegible]

Name of the Borrower	Date and Amount of Demand Notice	Description of Mortgaged property
[illegible]	[illegible]	[illegible]
DHARMRAJ DHARMRAJ, MADHU BAI (A/c No.) [illegible]	11 Jan 24 Rs. 487[illegible]/- 11 Jan 24	KHASRA NO 1347, BARA NAYA GAON, PANCHAYAN KE PASS, BUNDI, RAJASTHAN, 323[illegible], Hindoli BUNDI RAJASTHAN [illegible] Admeasuring 4800 SQ FT
SUPYAR DEVI, SANWAR MAL MEENA (A/c No.) [illegible]	11 Jan 24 Rs. 455875/- 11 Jan 24	FLAT NO 304 2ND FLOOR FLAT NO 304 KHASRA NO. 1310/1, 1311, 1605 & 1612 BADI KHOH KHET BLOCK-C Vivaknagar JAIPUR RAJASTHAN 302003 Admeasuring 350.00 SQ FT

Place : Jaipur Date : 18.01.2024
Authorised Officer Aavas Financiers Limited

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD

Unit 203 & 204, 2nd Floor, "A" Wing, Navbharat Estate, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai 400015, Maharashtra.
CIN No.: U[illegible]

POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of Vastu Housing Finance Corporation Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred to him under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on the date mentioned below.

The borrower and guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Vastu Housing Finance Corporation Limited Branch for an amount mentioned as below and interest thereon, costs etc.

SN	Name of Borrower, Co-Borrower and LAN No.	Date & Amount of Demand Notice	Description of Property	Date & Type of Possession
1	Late Meghraj (Deceased) Through all legal Heirs (Applicant), Gita Bai Wife of Late Meghraj (Co Applicant and Legal Heir of Deceased Applicant), [illegible]	15-10-2023 Rs. 321178 as on 12-10-2023	Area Admeasuring 1120 Sq. ft. Patta No. 3402, Khasra No. 282, Maal No. 02, Gram Panchayat [illegible] Kota, Rajasthan, 325602	Symbolic Possession Taken on 12-01-2024
2	[illegible] Kumar Sharma, Mahesh Prasad Sharma, [illegible]	19-10-2023 Rs. [illegible]	Area of Property [illegible], Gram Sawarda, Gram Panchayat Sangod, Kota, Rajasthan, 325602	Symbolic Possession Taken on 12-01-2024
3	Rajendra Singh, [illegible]	19-10-2023 Rs. [illegible]	Patta No. 000, Gram- Kalwa, Gram Panchayat Kalwa, Panchayat Samiti - Rajsamand Rajasthan, 313324 Admeasuring area 1584.44 Sq. Ft.	Symbolic Possession Taken on 16-01-2024

Date: [illegible]
Place: [illegible]

Authorised Officer, Vastu Housing Finance Corporation Ltd

HDFC BANK — Demand Notice

HDFC Bank Limited, Branch: C-26, Bhagwant Das Road, Opp. St. Xaviers School, C-Scheme, Jaipur-302001. CIN [illegible] Website: www.hdfcbank.com
Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400013

[illegible]

IMPORTANT

[illegible]

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

[illegible]

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

Bank of Baroda

[illegible]

Bank of Baroda

[illegible]

Jaipur

दैनिक नवज्योति
उदयपुर, गुरुवार, 18 जनवरी 2024

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ- 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com. फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः- मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड, ग्राम-खेमली, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर expansion of Chemical Fertilizer Plant located at Khasra no. 4666/2184, 4684/2875, 4687/2875, 4693/2997, Village-Khemli, Tehsil-Mavli, District-Udaipur हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड, ग्राम खेमली, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना Expansion of Chemical Fertilizer Plant located at Khasra no. 4666/2184, 4684/2875, 4687/2875, 4693/2997, Village- Khemli, Tehsil-Mavli, District-Udaipur का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय -4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरण्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ. प्र)।
   5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
   6) उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 22.02.2024 (गुरुवार) को प्रातः 11.00 बजे, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम खेमली, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 308241

Scanned with OKEN Scanner

गेम्स के अंतर्गत मुक्केबाजी संघ में उदयपुर के समर फतह सिंह राठौड़ रेफरी व जज की भूमिका निभाएंगे। जिला मुक्केबाजी संघ के सचिव फतह सिंह राठौड़ ने बताया कि समर फतह पूर्व में भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभा चुके हैं।

अवैध खनन पर कार्रवाई

सलूंबर। अवैध खनन की रोकथाम के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर कृष्णपालसिंह चौहान के निर्देशन में सेमारी क्षेत्र में खनन और पुलिस विभाग ने कार्रवाई कर 70 टन बजरी जब्त की।

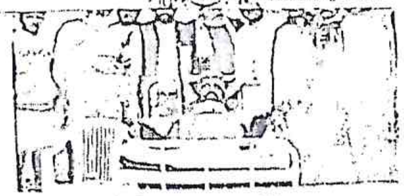

शिविर में किया 70 यूनिट रक्तदान

उदयपुर। पंचायत समिति सदस्य अजय व्यास के जन्मदिन पर राप्रावि बुझड़ा में आयोजित शिविर में 70 यूनिट रक्तदान हुआ। इसके अलावा शिविर में रोगियों का उपचार किया गया।

सीडलिंग में मनाया गया सड़क सुरक्षा दिवस

उदयपुर। सीडलिंग मॉडर्न पब्लिक स्कूल कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित नाटक, पोस्टर व स्वरचित कहानी निर्माण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विद्यालय की प्राचार्या कीर्ति भाकेन द्वारा विजेताओं को पुरस्कार देते हुए उन्हें सड़क नियमों का पालन कठोरता से करने के लिए निर्देश दिए गए।

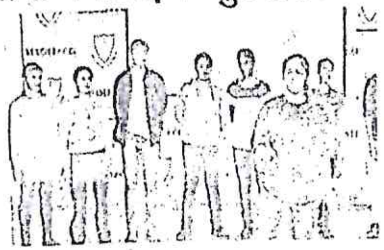

चोरों ने मचाई धमाल, मंदिर व विद्यालय के ताले तोड़े

■ झल्लारा थाना क्षेत्र का मामला

झल्लारा। झल्लारा तहसील की ग्राम पंचायत मंडली के गांव धावड़ी में चोरों ने मंगलवार रात्रि को धमाल मचाते हुए मंदिर, विद्यालय व घर-दुकानों के ताले तोड़े। इस दौरान चोर आभूषण व सामान ले उड़े। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 15 वर्ष के बाद चोरी की वारदात हुई है।

जानकारी के अनुसार चोर गांव के मीणा बस्ती में स्थित भैरूजी मंदिर पहुंचे। चोरों ने माताजी व भैरूजी की मूर्ति के ऊपर चढ़ाए गए करीब 50 तोला वजनी चांदी के छत्तर चुरा लिए। इसके बाद चोर राउप्रावि के परिसर में दाखिल हुए और कमरों के ताले तोड़े। चोर विद्यालय के ऑफिस में घुसे और वहां रखा सारा सामान बिखेर दिया। सुबह ग्रामीणों ने विद्यालय व मंदिर के ताले टूटे देखे तो हड़कंप मच गया।

कुछ ही पलों में पूरा गांव वहां एकत्रित हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तो थाना मौके पर पहुंचा और मुआयना किया। मंदिर में चोरी होने से आक्रोशित भीतवरियों ने पुलिस से चोरों को शीघ्र पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष हितेश जोशी, नरेंद्र जोशी, हेमेंद्र जोशी, गांव के युवा अध्यक्ष दीपक जोशी, शंकर डामोर, देवा मीणा, कुंदन जोशी वकील, भारत मीणा, कमलेश मीणा, विशाल, दीपक, भगु मीणा मौजूद रहे। इधर, चोरों ने भैरूजी मंदिर व ब्राह्मण बस्ती में स्थित विद्यालय में काफी नुकसान भी पहुंचाया। चोरों ने विद्यालय में रखे सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज बिखेर दिए तो कुछ फाड़ भी दिए। ग्रामीणों ने बताया कि माताजी मंदिर के पास में एक बाइक पड़ी मिली। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से बाइक को सामुदायिक भवन में ले जाकर खड़ी कराई।

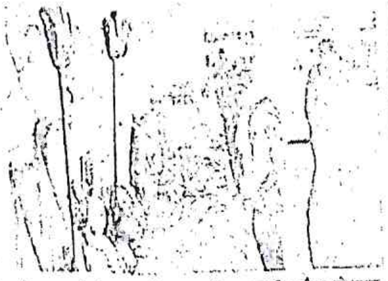

उदयपुर। ... में ... दिवस पर भ्रूण हत्या एक सामाजिक कुरीति ... किया गया। इस अवसर पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में ... प्रथम एवं प्रियंका ... द्वितीय, निबंध प्रतियोगिता में ... प्रथम, इंद्रा कुंवर चौहान द्वितीय, ... तृतीय, नृत्य प्रतियोगिता में दीक्षिता सेन, ... ममता प्रजापत, कनिष्का राव ... विजेता रही। ... ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है। ... एवं पंचायत समिति सदस्य भुवनेश व्यास ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया। संचालन किरण ... ने किया।

एनएसएस शिविर में लिया हिस्सा

उदयपुर। विद्या भवन रूरल इंस्टिट्यूट की एन एस एस इकाई की एक दिवसीय शैक्षिक व प्रकृति शिविर प्रभारी डा अर्चना जैन व डा चरखा त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रकृति साधना केंद्र, भीलों के बेदला पर आयोजित हुआ। इकाई के 51 विद्यार्थियों ने शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत उद्देश्य, अनुशासन, श्रमदान, पर्यावरण आदि पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि पक्षी विशेषज्ञ विनय दवे ने पक्षियों के स्वभाव, आचरण, प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों के संबंध में जानकारी दी। संचालन डा अर्चना ने किया। आभार डा त्रिपाठी चरखा रानी ने ज्ञापित किया।

कार्यालय नगरपालिका कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना

[illegible]

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कपासन

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

[illegible]

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

[illegible]

(38)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, खेमली

पंचायत समिति, मावली जिला–उदयपुर (राज.) 313201

क्रमांक : [illegible] दिनांक : 27-02-2024

सेवा में

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर)
उदयपुर (राज.)

महोदय जी,

सविनय निवेदन है की खेमली गाँव में स्थापित फ़र्टिलाइज़र संयंत्र, जो की वर्तमान में मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड द्वारा संचालित है, से कई ग्रामवासियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है एवं प्रस्तावित विस्तार परियोजना से भविष्य में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे साथ ही गाँव में ही संयंत्र के संचालित होने से किसान भाईयो को भी समय पर उचित दाम में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी | कंपनी द्वारा विभिन्न सामजिक उत्तरदायित्वो का निर्वाह भी समय समय पर किया जाता रहा है व भविष्य में भी विभिन्न कल्याणकारी कार्यो द्वारा गाँव की उन्नति हेतु सभी आशान्वित है |

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मैसर्स पटेल फोस्केम लिमिटेड खेमली की प्रस्तावित विस्तार परियोजना को मंजूरी दिये जाने से ग्राम पंचायत खेमली को कोई आपत्ति नहीं है |

धन्यवाद |

Recieved by Adm city office.

तुलसी डांगी
सरपंच
ग्राम पंचायत खेमली
पं.स. मावली जिला उदयपुर (राज.

सरपंच
ग्राम पंचायत- खेमली
तहसील- मावली, जिला- उदयपुर (राज.)

04/03/24

लक्ष्मण अनिल पुष्कर
गोपाल नारायण
एकलिंग